केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक: 06.06.2017

एन.डी.टी.वी. की न्यूज रिपोर्ट/ वक्तब्य से सम्बन्धित स्पष्टीकरण

मीडिया क्षेत्रों से आयी रिपोर्ट में कुछ मुद्दे उठाये गए हैं और एन.डी.टी.वी. द्वारा जारी वक्तब्य में इसके प्रोत्साहकों एवं अन्यों से सम्बन्धित मामले में सीबीआई जॉंच के विरूद्ध कुछ आरोप लगाए गए है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि नामित अदालत द्वारा जारी तलाशी वारन्ट के आधार पर प्रोत्साहकों एवं उनके कार्यालयी परिसरों में तलाशी ली गयी। सीबीआई ने एन.डी.टी.वी.के पंजीकृत कार्यालय, मीडिया स्टूडियो, न्यूज रूम या मिडिया संचालन से जुड़े परिसरों में कोई तलाशी नही ली है। सीबीआई प्रेस की स्वतंत्रता का पूर्णत: सम्मान करती है एवं न्यूज संचालन की स्वतंत्र कार्य पद्धति हेतु प्रतिबद्ध है।

सीबीआई ने आई.सी.आई.सी.आई. बैंक एवं एन.डी.टी.वी. के अंशधारक की शिकायत पर उचित मूल्यांकन के पश्चात मामला दर्ज किया है। जॉंच के इस चरण पर निन्दात्मक आरोप एवं अनुचित तरीके से एजेन्सी को दबाव में कार्य करने का आरोप लगाना अनावश्यक तथा सीबीआई की छवि को खराब करने का प्रयास है। सीबीआई द्वारा की जा रही जॉंच कानून की नियत प्रक्रिया एवं अदालत के क्षेत्राधिकार के तहत है। जॉंच के दौरान प्रस्तुत प्रमाणों के आधार पर नियत अदालत के समक्ष जॉंच का परिणाम पेश किया जायेगा।

एन.डी.टी.वी. के वक्तब्य में ऐसा बताया गया कि एन.डी.टी.वी. एवं इसके प्रोत्साहकों ने किसी ऋण की अदायगी करने में कभी भी नही चूके हैं। जारी जॉंच के आरोपों में ऋण की अदायगी में चूकने से सम्बन्धित नही है जबकि प्रोत्साहकों- डा. प्रणव रॉय, श्रीमती राधिका रॉय, मैसर्स आर.आर.पी.आर. होडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को उनकी मिलिभगत एवं आपराधिक षड़यंत्र से हुए 48 करोड़ रू. के अनुचित लाभ एवं इसी अनुरूप में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की दोषपूर्ण हानि से

सम्बन्धित है। शिकायत में ऐसा आरोप है कि एन.डी.टी.वी. के प्रोत्साहकों- डा. प्रणव रॉय, श्रीमती राधिका रॉय एवं मैसर्स आर.आर.पी.आर. होडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड आई.सी.आई.सी.आई. के अज्ञात कर्मियों के साथ अपराधिक षड़यंत्र करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 19(2) ; भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 28.08.1998 की जारी मास्टर सर्कुलर डी.बी.ओ.डी. संख्या डी.आई.आर.बी. 90/ 13.07.05/ 98-99 का उल्लंघन किया तथा षड़यंत्र में आगे, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ने समानान्तर प्रत्याभूत के तौर पर एन.डी.टी.वी. में प्रोत्साहकों की सम्पूर्ण अंशधारिता (लगभग 61%) को ले लिया और तब ब्याज दर को 19% प्रति वर्ष से लगभग 9.5% प्रति वर्ष घटाकर पूर्व भुगतान स्वीकार किया तथा इसके परिणाम स्वरूप, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को 48 करोड़ रू. की दोषपूर्ण हानि हुयी और इसी अनुरूप में एन.डी.टी.वी. के प्रोत्साहकों- डा. प्रणव रॉय, श्रीमती राधिका रॉय व मैसर्स आर.आर.पी.आर. होडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को दोषपूर्ण लाभ हुआ।

एन.डी.टी.वी. ने अपने वक्तब्य में यह कह कर सीबीआई के क्षेत्राधिकार पर प्रश्न उठाया है कि आई.सी.आई.सी.आई. एक प्राइवेट बैंक है। यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रमेश गिल बनाम सीबीआई, 2016 में निर्णय दिया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा, 1988 के प्रावधान प्राइवेट बैंकों के कर्मियों पर भी लागू होगें।

हम, सभी सम्बन्धितों से संयम बरतने एवं जॉंच में सहयोग करने का अनुरोध करते है। सीबीआई, जॉंच को शीघ्रता से करने एवं कानून की नियत प्रक्रिया के अनुसरण हेतु प्रतिबद्व है। सीबीआई अपने आदर्श वाक्य अर्थात उद्यमिता, निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठा को दोहराता है।

आप से अनुरोध है कि अपने चैनल पर शीघ्रता से उपर्युक्त स्पष्टीकरण प्रसारित करें/ कल के समाचार पत्र में प्रमुखता से प्रकाशित करें।

****